उत्तर मध्य रेलवे

महाप्रबंधक कार्यालय
प्रयागराज - 211015

संख्या : 797-ई/राज./ग्रुप 'बी' सेलेक्शन/सीबीटी/कार्मिक/70%/2023-24 दिनांक : 22.12.2022

सभी प्रधान मुख्य विभागाध्यक्ष एवं मुख्य विभागाध्यक्ष/मुख्यालय
मंडल रेल प्रबंधक : प्रयागराज, झाँसी एवं आगरा, मुख्य कारखाना प्रबंधक : झाँसी कारखाना, रिफर्बिसिंग कारखाना /झाँसी, रेल कोच नवीनीकरण कारखाना / झाँसी एवं सिथौली कारखाना, मुख्य प्रशासनिक/निर्माण, महाप्रबंधक (कार्मिक)/कोर, वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी : प्रयागराज, झाँसी एवं आगरा, उप मुख्य कार्मिक अधिकारी : झाँसी कारखाना एवं सीएमएलआर कारखाना/झाँसी, वरिष्ठ सांख्यिकी अधिकारी/यातायात लेखा/प्रयागराज, वरिष्ठ ईडीपीएम मुख्यालय, प्रयागराज, झाँसी एवं आगरा, प्रधानाचार्य : आईआरटीएमटीसी/सूबेदारगंज, सीटा/कानपुर, एसटीसी/झाँसी एवं ईटीसी/कानपुर, वरिष्ठ मंडल वित्त प्रबंधक : प्रयागराज, झाँसी एवं आगरा, उप मुख्य सामग्री प्रबंधक : जीएसडी/झाँसी एवं जीएसडी/कानपुर, निदेशक केमटेक/ग्वालियर, उप मुख्य इंजीनियर/सीएसपी/सीपीओएच/प्रयागराज, अध्यक्ष : रेलवे भर्ती बोर्ड/इलाहाबाद एवं रेल भर्ती प्रकोष्ठ/प्रयागराज, उप मुख्य कार्मिक अधिकारी : राजपत्रित/मुख्यालय एवं सामान्य, औद्योगिक संबंध एवं निर्माण, वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी/मुख्यालय, झाँसी एवं सिथौली कारखाना, मंडल कार्मिक अधिकारी : प्रयागराज, झाँसी एवं आगरा, वरिष्ठ सहायक वित्त सलाहकार/कैश एवं पे/प्रयागराज, झाँसी एवं आगरा
सहायक कार्मिक अधिकारी : मुख्यालय, औद्योगिक संबंध, प्रयागराज, झाँसी एवं आगरा, झाँसी कारखाना, सीएमएलआर कारखाना, विधि अधिकारी/मुख्यालय, कार्यपालक इंजीनियर/टीएमसी/लाइन/पुराना महाप्रबंधक कार्यालय, प्रयागराज।

विषय : रिक्ति चक्र 01.01.2023 से 31.12.2024 के लिए केंद्रीयकृत कंप्यूटर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रकार परीक्षा (सीबीटी) के द्वारा कार्मिक विभाग में पे मैट्रिक्स लेविल - 8 में 70% (पदोन्नति कोटा) कोटा रिक्तियों को भरने के लिए ग्रुप 'सी' से ग्रुप 'बी' में सहायक कार्मिक अधिकारी के पद पर पदोन्नति हेतु चयन।

संदर्भ : रेलवे बोर्ड का पत्र संख्या ई (जीपी) 2022/2/4 दिनांक 28.06.2022, 04.10.2022 एवं 18.10.2022

....

1. रेलवे बोर्ड के उपर्युक्त संदर्भित पत्रों के अनुसार रिक्ति चक्र 01.01.2023 से 31.12.2024 के रिक्तियों के लिए भारतीय रेल राष्ट्रीय अकादमी (नायर), वडोदरा द्वारा आयोजित केंद्रीयकृत कंप्यूटर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रकार परीक्षा (सीबीटी) द्वारा पे मैट्रिक्स लेविल - 8 में 70% (पदोन्नति कोटा) कोटा की रिक्तियों के अंतर्गत ग्रुप 'सी' से ग्रुप 'बी' में सहायक कार्मिक अधिकारी के पद पर पदोन्नति हेतु चयन परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसके लिए भारतीय रेल राष्ट्रीय अकादमी (नायर), वडोदरा द्वारा दिनांक 22.01.2023 को सीबीटी मुख्य परीक्षा एवं दिनांक 29.01.2023 को पूरक परीक्षा आयोजित की जाएगी।

रिक्तियों का विवरण निम्नानुसार है :-

चयन की पद्धति	अनारक्षित	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जन जाति	कुल
70% पदोन्नति कोटा	03	00	00	03
30% सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा (एलडीसीआई) कोटा	01	00	00	01

नोट : सहायक कार्मिक अधिकारी का 01 (एक) पद नीचे दिए गए पैरा 2.1(ए) में उल्लिखित कार्यात्मक वर्गीकरण और उससे संबंधित शारीरिक संचालन संबंधी अपेक्षाओं के विवरण के साथ नि:शक्तता श्रेणी के पीडब्ल्यूबीडी अभ्यर्थियों के लिए आरिक्षत है।

2. बेंचमार्क नि:शक्तता व्यक्तियों (पीडब्ल्यूबीडी) के लिए आरक्षण :

2.1 रेलवे बोर्ड द्वारा आरबीई संख्या 97/2022 के अंतर्गत परिपत्रित कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012/1/2020-स्था.(आरईएस.II), दिनांक 17.05.2022 के पैरा 2.2 के अनुसार बेंचमार्क नि:शक्तता वाले व्यक्तियों (पीडब्ल्यूबीडी) के लिए पदोन्नति में आरक्षण देने के लिए नि:शक्तता की निम्नलिखित श्रेणियां निर्धारित की गई हैं -

क. अंधापन एवं कम दृष्टि।

ख. बहरापन एवं कम सुनाई देना।

ग. सेरेब्रल पाल्सी, लेप्रोसी क्योर्ड, बौनापन, एसिड अटैक पीड़ित और मस्क्यूलर डिस्ट्रॉफी सहित लोको मोटर नि:शक्तता।

घ. ऑटिज्म, बौद्धिक अक्षमता (इंटलेक्चुअल डिसएबिलिटी), सीखने से संबंधित विनिर्दिष्ट अक्षमता और मानसिक बीमारी।

च. बहरापन और अंधापन सहित खंड (ए) से (बी) में शामिल व्यक्तियों में पाई जाने वाली मल्टीपल नि:शक्तता।

2.2 रेलवे बोर्ड के पत्र संख्या ई(जीपी) 2022/2/20 दिनांक 14.11.2022 के अनुसार निम्नलिखित कोटियों से संबंधित नि:शक्तता वाले उम्मीदवार सहायक कार्मिक अधिकारी, ग्रुप 'बी' पद के लिए पात्र होंगे।

पद का नाम	कार्यात्मक वर्गीकरण	शारीरिक संचालन से संबंधित आवश्यकताएं
सहायक कार्मिक अधिकारी (ग्रुप 'बी')	कम दृष्टि (एलवी) संदर्भ : डीओपीटी के ओएम दिनांक 17.05.2022 का पैरा 2.2 (ए)	सिटिंग(एस), स्टैंडिंग (एसटी), बैंडिंग(बीएन), वाकिंग(डब्ल्यू), सीइंग(एसई), मैनिपुलेशन बाई फिंगर्स (एमएफ), कम्युनिकेशन(सी), रीडिंग एंड राइटिंग(आरडब्ल्यू), नीलिंग एंड क्राउचिंग(केसी), क्लाइमिंग(सीएल), जंपिंग(जेयू), हियरिंग(एच)।
	श्रवण बाधित(एचएच) (कम सुनाई देना)	एस, एसटी, बीएन, डब्ल्यू, एसई, एमएफ, सी, आरडब्ल्यू, केसी, सीएल, जेयू, एच (हियरिंग एड के साथ स्वीकार्य)
	लोको मोटर नि:शक्तता (एलडी) - एक हाथ(ओए)/एक पैर(ओएल) (लोप्रोसी क्योर्ड, एसिड अटैक पीड़ित सहित)	एस, एसटी, बीएन, डब्ल्यू, एसई, एमएफ, सी, आरडब्ल्यू, केसी, सीएल, जेयू, एच।

2.3 सहायक कार्मिक अधिकारी (ग्रुप बी) का एक पद यथोक्त शारीरिक संचालन संबंधी अपेक्षाओं के साथ कार्यात्मक कोटियों वाले पैरा 2.1 (क) में उल्लिखित नि:शक्तता वाली कोटियों के पीडबल्यूबीडी उम्मीदवारों के लिए आरक्षित होगा।

2.4 लिखित परीक्षा (सीबीटी) में सफल पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवारों का, साक्षात्कार से पहले रेलवे चिकित्सा प्राधिकारियों द्वारा चिकित्सा परीक्षण किया जाएगा और यथास्थिति भारतीय रेल चिकित्सा नियमावली और अन्य वर्तमान प्रावधानों में यथानिर्धारित चिकित्सा मानदंडों के अनुरूप उपयुक्त पाए जाने वाले उक्त उम्मीदवार ही साक्षात्कार/पैनल पर रखे जाने के पात्र होंगे।

3. पात्रता की सामान्य शर्तें (01.01.2023 को) :

ग्रुप 'सी' के वे सभी कर्मचारी (जो पैरा 3.1 में उल्लिखित निम्नोक्त कोटियों में आते हैं) और 01.01.2023 को पे मैट्रिक्स में लेविल-6 (7वाँ केंद्रीय वेतन आयोग)/पीबी-2 रु. 9300-34,800, जीपी रु. 4200/- (6वाँ केंद्रीय वेतन आयोग) और उसके ऊपर के लेविल में कार्यरत हों और साथ ही पे मैट्रिक्स में लेविल - 6 और ऊपर के लेविल में तीन वर्ष की लगातार सेवा पूरी कर ली हो (इसके अंतर्गत समरूप प्री रिवाइज्ड (संशोधन पूर्व) ग्रेड में की गई लगातार सेवा भी शामिल होगी), इस पद के लिए पात्र होंगे। (आरबीई नंबर 216/2019)

3.1 पात्र कर्मचारियों की कोटि :

क. कार्मिक विभाग के ग्रुप 'सी' के सभी कर्मचारी।

ख. सामान्य प्रशासन विभाग और जनसंपर्क विभाग (प्रचार/विज्ञापन निरीक्षकों और फोटोग्राफरों को छोड़कर) के सभी लिपिकवर्गीय कर्मचारी।

ग. सांख्यिकी एवं संकलन विभाग, भंडार विभाग तथा परिचालन विभाग एवं वाणिज्य विभाग के सभी लिपिकवर्गीय कर्मचारी।

घ. लेखा विभाग को छोड़कर सभी विभागों के आशुलिपिक।

च. मुख्य विधि सहायक।

छ. उत्तर मध्य रेलवे के किसी अन्य विभाग (राजभाषा विभाग एवं लेखा विभाग को छोड़कर) में संवर्ग पद पर कार्यरत ग्रुप 'सी' के लिपिकवर्गीय कर्मचारी, जिनके लिए उनके विभाग में ग्रुप 'बी' में पदोन्नति का कोई अवसर न हो।

ज. कैश एवं पे के लिपिकवर्गीय कर्मचारी, जिनके लिए उनके विभाग में ग्रुप 'बी' में पदोन्नति का कोई अवसर न हो। (प्राधिकार : रेलवे बोर्ड का दिनांक 14.08.2002 का पत्र संख्या ई (जीपी) 2002/2/45)।

उपर्युक्त खंड (सी) से (ई) के पात्र कर्मचारी को चाहिए कि वे पैनल पर रखे जाने की तारीख से एक माह के अंदर इस आशय का विकल्प अवश्य दे दें कि वे अपने विभाग में ग्रुप 'बी' के पद पर पदोन्नति चाहते हैं अथवा सहायक कार्मिक अधिकारी के पद पर। एक बार दिए जा चुके विकल्प को अंतिम माना जाएगा।

नोट :निर्माण संगठन/परियोजना कार्यालयों/अन्य संवर्ग बाह्य संगठनों/यूनिटों में कार्यरत कर्मचारियों की पात्रता का निर्धारण उनके मूल विभाग में उनके मूल पद के अनुसार किया जाएगा, बशर्तें वे निर्धारित अन्य शर्तों को पूरा करते हों।

4. आवेदन जमा करना और उनकी जाँच (छानबीन) :

क) पात्र कर्मचारियों को अपना आवेदन **अनुलग्नक - 'ए'** में संलग्न निर्धारित प्रोफार्मा में भरकर, उसे अपने संबंधित कार्यालय में अपने आसन्न पर्यवेक्षक/अधिकारी से अग्रेषित कराकर उचित माध्यम द्वारा (तीन प्रतियों में) दिनांक 28.12.2022 को या उससे पहले जमा करके उसकी पावती प्राप्त कर लेनी चाहिए।

ख) दिनांक 28.12.2022 के बाद प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा और सरसरी तौर पर उन्हें अस्वीकृत कर दिया जाएगा। यदि संबंधित कार्यालय द्वारा कोई आवेदन प्राप्त नहीं होता है, तो इस संबंध में उसे मुख्यालय/मंडल/कारखाना/इकाई के कार्मिक विभाग को इस आशय का एक प्रमाण पत्र दिया जाना चाहिए कि उनके कार्यालय से कोई भी आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

ग) संबंधित विभागों द्वारा प्राप्त आवेदनों को दिनांक 30.12.2022 तक मुख्यालय/मंडल/कारखाना/यूनिट के कार्मिक विभाग को भेज देना चाहिए और आवेदन की एक प्रति रिकार्ड के लिए कार्यालय में रख लेनी चाहिए।

घ) दिनांक 30.12.2022 के बाद प्राप्त आवेदनों को संबंधित मुख्यालय/मंडल/कारखाना/यूनिट के कार्मिक विभाग द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा।

च) प्रत्येक विभाग से चयन परीक्षा के लिए प्राप्त आवेदनों का, मुख्यालय/मंडल/कारखाना/यूनिट के कार्मिक विभाग द्वारा संबंधित कर्मचारियों के नाम से पंजीकरण सुनिश्चित किया जाएगा। मुख्यालय/मंडल/कारखाना/यूनिट की स्थापना शाखा के कार्मिक अधिकारी, प्रभारी अधिकारी आवेदनों की जाँच करेंगे तथा अपने यहाँ मेनटेन किए जा रहे सेवा रिकार्ड के अनुसार कर्मचारी की पात्रता का सत्यापन करेंगे और प्रत्येक उम्मीदवार के आवेदन में उसकी पात्रता को स्पष्ट रूप से प्रमाणित करेंगे।

छ) आवेदनों की जाँच के बाद मुख्यालय/मंडल/कारखाना/यूनिट के कार्मिक विभाग द्वारा पात्र उम्मीदवारों के आवेदनों को **अनुलग्नक 'बी'** में दिए गए प्रारूप के अनुसार एक समेकित विवरण हार्ड कॉपी एवं एक्सल शीट में तैयार साफ्ट कॉपी) के साथ उप मुख्य कार्मिक अधिकारी/राजपत्रित/राजपत्रित अनुभाग, प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी कार्यालय/उत्तर मध्य रेलवे/मुख्यालय/प्रयागराज को दिनांक 02.01.2023 तक या इसके पहले अग्रेषित किया जाएगा। निर्माण संगठन में कार्यरत पात्र कर्मचारियों के आवेदन उप मुख्य कार्मिक अधिकारी/निर्माण/उत्तर मध्य रेलवे/मुख्यालय/प्रयागराज द्वारा भेजे जाएंगे। यदि कोई उम्मीदवार किसी भी चरण में अपात्र पाया जाएगा, तो उसकी उम्मीदवारी सरसरी तौर पर निरस्त कर दी जाएगी।

5. **पाठ्यक्रम :**

रेलवे बोर्ड द्वारा दिनांक 07.11.2022 की पत्र संख्या ई(जीपी)2022/2/4 द्वारा जारी कार्मिक विभाग में ग्रुप 'बी' के सहायक कार्मिक अधिकारी के पद के लिए 70% चयन हेतु पाठ्यक्रम की प्रतिलिपि अनुलग्नक 'सी' के रूप में संलग्न है।

6. **अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति समुदाय के कर्मचारियों को चयन पूर्व प्रशिक्षण:**

ग्रुप 'बी' पदों की ये रिक्तियां अनारक्षित वर्ग के लिए हैं, अत: रेलवे बोर्ड के दिनांक 28.08.2019 के पत्र संख्या ई(जीपी)20102/2/39 (आरबीई नंबर 142/2019) में दिए गए निर्देशों के अनुसार अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति समुदाय के कर्मचारियों को चयन पूर्व कोचिंग/प्रशिक्षण नहीं दिया जाएगा।

7. **परीक्षा कार्यक्रम :**

रेलवे बोर्ड के दिनांक 07.10.2022 की पत्र संख्या ई(जीपी)2022/2/4 के अनुसार सीबीटी द्वारा ली जाने वाली परीक्षा में एक प्रश्न पत्र होगा, जिसके अंतर्गत केवल वस्तुनिष्ठ प्रकार के बहुविकल्पीय उत्तर वाले प्रश्न पूछे जाएँगे। यह प्रश्न पत्र 100 अंकों का होगा, जिसमें प्रश्नों का निम्नवत वितरण किया जाएगा :-

क.	राजभाषा नीति एवं नियमों से संबंधित 10 अंक के वैकल्पिक प्रश्नों सहित व्यावसायिक विषय	70 अंक
ख.	स्थापना और वित्त नियम	30 अंक
ग.	अर्हता अंक	60 अंक - वर्तमान नियमों के अनुसार छूट सहित
घ.	अवधि/समय	दो घंटा
च.	गलत उत्तर देने पर ऋणात्मक अंक दिए जाएंगे। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए एक तिहाई (1/3) अंक काट लिए जाएंगे। (आरबीई नंबर 53/2019, दिनांक 19.03.2019 के पैरा 4.3 के अनुसार)	

8. **लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार :**

उक्त पद पर चयन के लिए लिखित/कंप्यूटर आधारित टेस्ट परीक्षा एवं तत्पश्चात साक्षात्कार परीक्षा आयोजित की जाएगी। रेलवे बोर्ड के दिनांक 31.10.1991 के पत्र संख्या ई(जीपी) 80/2/8, दिनांक 21.05.1999 एवं 18.12.2000 के पत्र संख्या 99/एच/5/3 के अनुसार लिखित/सीबीटी परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले एवं मेडिकल परीक्षण का निर्धारित मानक पास करने वाले अभ्यर्थियों को ही साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा और चिकित्सा उपयुक्तता प्रमाण-पत्र के बिना उम्मीदवार साक्षात्कार के लिए पात्र नहीं होंगे। इस संबंध में भारतीय रेल चिकित्सा नियमावली भाग-1, तृतीय संस्करण 2000 के पैरा 503 के साथ पठित पैरा 529 एवं 530 के प्रावधान लागू होंगे।

9. **पूरक परीक्षा :**

यदि आवश्यक हुआ, तो इस संबंध में वर्तमान नियमों और निम्नलिखित शर्तों के अधीन दिनांक 29.01.2023 को पूरक लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी :-

(क) इस पूरक परीक्षा में केवल उन्हीं कर्मचारियों को शामिल होने की अनुमति दी जाएगी, जिन्हें प्रशासनिक कारणों से मुख्य लिखित परीक्षा (सीबीटी) में शामिल होने से रोका गया था, जिसके लिए प्रभारी कार्मिक अधिकारी द्वारा संबंधित कर्मचारी के मुख्य परीक्षा (सीबीटी) में शामिल न हो पाने के संबंध में स्पष्ट कारण अवगत कराया जाएगा।

(ख) ऐसे कर्मचारी जो परीक्षा की तारीख के दौरान आरएमसी अथवा अन्यथा रूप से सिक में हों अथवा परीक्षा की तारीख के पहले से ही सिक में हों, तो केवल उन्हें ही चिकित्सा अधीक्षक/मंडल चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी तथा नियंत्रक अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित और प्रभारी कार्मिक अधिकारी द्वारा विधिवत अग्रेषित इस आशय के रेलवे प्रमाण पत्र कि वे उपर्युक्त परीक्षा में शामिल होने के लिए फिट नहीं थे, को प्रस्तुत करने पर ही पूरक परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दी जाएगी।

यदि किसी कर्मचारी को उसकी बीमारी के कारण जी-92 जारी किया जाता है, तो कृपया यह सुनिश्चित किया जाए कि जी-92 फार्म पर लाल स्याही में स्पष्ट रूप से यह उल्लेख किया गया हो कि संबंधित

कर्मचारी को अमुक तारीख को आयोजित सहायक कार्मिक अधिकारी के पद के लिए होने वाली लिखित परीक्षा (सीबीटी) में शामिल होना है।

(ग) यदि कर्मचारी किसी ऐसे कारण, जिस पर उसका कोई नियंत्रण न रहा हो, से मुख्य परीक्षा में शामिल न हो सके, तो उसे इस संबंध में प्रमाणस्वरूप आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने पर ही पूरक परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दी जाएगी। प्रमाणस्वरूप प्रस्तुत किए जाने वाले उक्त दस्तावेज उसके नियंत्रक अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित और प्रभारी कार्मिक अधिकारी द्वारा विधिवत अग्रेषित होने चाहिए। प्रभारी कार्मिक अधिकारी द्वारा इसमें स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाएगा कि किन कारणों से कर्मचारी मुख्य परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो सका था।

(घ) उपर्युक्त पैरा (क), (ख) एवं (ग) में उल्लिखित परिस्थितियों को छोड़कर अन्य किन्हीं कारणों से मुख्य लिखित परीक्षा में अनुपस्थित रहने वाले कर्मचारियों को पूरक लिखित परीक्षा में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(च) परीक्षा में शामिल होने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी का यह उत्तरदायित्व होगा कि वे उपर्युक्त परिस्थितियों के आधार पर पूरक परीक्षा में शामिल होने के लिए सीबीटी द्वारा लिखित परीक्षा के आयोजन के दो दिन के अंदर अपना दावा प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

यदि मुख्यालय/मंडल/कारखाना/यूनिट का कोई कर्मचारी प्रतिनियुक्ति/संवर्ग से बाहर अथवा संवर्ग बाह्य पद पर कार्यरत हो और उसका लियन इस रेल में हो तथा इस संबंध में सभी शर्तों को पूरा करता हो, तो उसके संबंधित कार्यालय के माध्यम से उसे इस चयन के बारे में अवश्य सूचित किया जाए।

मंडल/कारखाना/यूनिट के संबंधित कार्मिक विभाग तथा मुख्यालय के उप मुख्य कार्मिक अधिकारी, वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी द्वारा इस कार्यालय को इस आशय की सूचना दी जानी चाहिए कि जो कर्मचारी संवर्ग के बाहर हैं, उन्हें इस चयन परीक्षा के बारे में सूचित कर दिया गया है।

सभी वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी, उप मुख्य कार्मिक अधिकारी, मंडल कार्मिक अधिकारी, वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी, सहायक कार्मिक अधिकारी तथा कर्मचारियों के नियंत्रक अधिकारी व्यक्तिगत रूप से यह सुनिश्चित करें कि यह अधिसूचना मुख्यालय/मंडलों/कारखानों/यूनिटों के कार्यालयों के प्रमुख नोटिस बोर्डों पर प्रदर्शित की जाए।

यह अधिसूचना इस रेलवे की वेबसाइट www.ncr.indianrailways.gov.in पर भी उपलब्ध है।

(About us → Department → Personnel → NCR Gazetted Section → CBT)

कृपया इस अधिसूचना की पावती दी जाए।

संलग्नक : यथोक्त

(इफ्तिखार अहमद खान)
वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी/राजपत्रित
कृते महाप्रबंधक (कार्मिक)

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित :-

1. सचिव/रेलवे बोर्ड, नई दिल्ली।
2. सचिव/महाप्रबंधक को महाप्रबंधक महोदय के सादर सूचनार्थ।
3. प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी एवं मुख्य कार्मिक अधिकारी/औ.सं.।
4. प्रधान मुख्य चिकित्सा निदेशक, वरिष्ठ उप महाप्रबंधक।
5. मुख्य चिकित्सा अधीक्षक - प्रयागराज, आगरा, झाँसी एवं कानपुर।
6. महासचिव/एनसीआरईएस एवं एनसीआरएमयू/प्रयागराज।
7. महासचिव/एससी/एसटी एवं ओबीसी संगठन।
8. मुख्य जनसंपर्क अधिकारी/उत्तर मध्य रेलवे।